

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रस्तावक विभाग, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा बस्ती-डुमरियागंज रोड (एस०एच०-२६) के किमी० स्टोन सं० ३९७, के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा संख्या-(७७, ७८, ७९, ८० च ८१) ग्राम-मलपुरवा, परगना-रसूलपुर, तहसील-भानपुर, जिला-बस्ती (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक २१.०६.२०२० को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती के द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

- १- पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु प्रस्तावित स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु उपयोग में आने वाली मार्ग पटरी की भूमि संरक्षित वन घोषित है। आप्रोच मार्ग से प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल ०.०७५०२८ हे० भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यकता है।
- २- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन में कोई वृक्ष बाधक नहीं है।
- ३- प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण, अधिनियम-१९८० का उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है। पहुँच मार्ग हेतु निर्माण कार्य की अनुमति उच्च स्तर से मिलने के बाद ही जायेगा।
- ४- भू-स्वामित्व विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वामित्व वाले संरक्षित वन भूमि पर पहुँच मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि ०.०७५०२८ हे० पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे हैं तथा वन अधिकार अधिनियम २००६ के अन्तर्गत कोई दावा लम्बित नहीं है, एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषण समुदाय के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
- ५- उक्त प्रस्तावित पहुँच मार्ग निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली संरक्षित भूमि (मार्ग पटरी) के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
- ६- उक्त रिटेल आउटलेट के क्षेत्र में पुरातात्विक स्थल/हेरिटेज स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान/अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है और न ही वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।

प्रदेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी
पो०-बैतालपुर, देवरिया (उ०प्र०)

3H
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रामनगर रेंज

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
बस्ती

(Rhandi)